राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर – 74/2014 (पुराना)
– 36/2017 (नया)

गणेश पुत्र श्री महादेव सिंह जाति अहीर आयु ..... वर्ष निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादी

ब–ना–म

1. रामकिशन 60 वर्ष
2. सोहन सिंह 58 वर्ष
3. भूपसिंह 45 वर्ष
4. दुलीचन्द 38 वर्ष

} पुत्रान महादेव सिंह

5. श्यामसुन्दर पुत्र रामकिशन आयु 60 वर्ष जाति ब्राह्मण
6. रामनारायण पुत्र रामकिशन आयु 50 वर्ष जाति ब्राह्मण
7. राजबाला पत्नी रामकिशन आयु 60 वर्ष जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. राजस्थान ग्रामीण बैंक शिमला तह0 खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदर, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :– **दिनांक 23–09–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19–02–2020 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2068 लगायत 2071 के खाता सं. 387 खसरा नंबर 956, 1940, 1999 कुल किता 3 कुल रकबा 1.59 है. में वादी का हिस्सा 0.07 है. दर हिस्सा 1/5, प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 का 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 5 व 6 का 0.25 है. हिस्से का, भूमि खाता सं. 276 खसरा नंबर 2050, 2191 [illegible] कुल किता 3 कुल रकबा 2.70 है. भूमि में वादी का 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी सं. [illegible]/5 हिस्से का व प्रतिवादीनी सं 7 का 1/5 हिस्से का तथा इसी गांव की भूमि खाता सं. 281 खसरा [illegible] 1959, 1960, 2101, 2245, 2246, 2249, 2250, 2313/1960 कुल किता 8 कुल रकबा 4.85 है. में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:36:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

का 1/5 हिस्से का व शेष प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 का 4/5 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2021/1685 दिनांक 28.05.2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3 की ओर से आपत्ति पेश कर कथन किया है कि पक्षकारान का भूमि विभाजन उनके पिता के द्वारा 43 वर्ष पहले कर दिया था। उस समय जमीन का विभाजन अच्छी बुरी व गांव से दूरी के हिसाब से किया था। प्रार्थी को उस समय सबसे खराब जमीन व गांव से दूर ख.नं. 1999 रकबा 0.78 है. व ख.नं. 2250 रकबा 1.18 है. दी थी उस समय पैमाईश नहीं हुई थी। अतः ख.नं. 2250 में ही कुआ बनाया गया था जो नई पैमाईश में 2249 रकबा 0.01 है. है। विभाजन प्रस्ताव में जमीन किस्म, आबादी से व सड़क एवं रास्ते आम से दूरी को आधार मानकर प्रस्ताव देने चाहिए थे। पक्षकार की कुल भूमि 9.14 है. है जिसमें चाही जमीन 0.81 है. है आपत्तिकर्ता के हिस्से में 0.16 है. चाही भूमि भी आनी चाहिए परन्तु प्रार्थी को चाही भूमि में कोई हिस्सा नहीं दिया गया है जो ख.नं. 1940 में दिलाया जावे। क्योंकि गणेशाराम वादी को प्रार्थी की भूमि ख.नं. 2250 में भूमि देना प्रस्तावित है एवं ख.नं. 1940 चाही में से 0.25 है. भूमि गणेशाराम ने रामनारायण, श्यामसुन्दर पुत्रान रामकिशन ब्राहमण को बेची है व शेष रकबा 0.16 है. भी उसी के हिस्से में पुनः दिया गया है जो गलत है अतः ख.नं. 1940 में से 0.16 है. भूमि मय रास्ता के आपत्तिकर्ता को दी जावे अथवा ख.नं. 1959 या 1960 में मय रास्ता दिया जावे। आबादी के पास ख.नं. 1960 व 1959 पड़ते हैं जिनकी बाजार भाव 25000/– [illegible] ख.नं. 1959 अकेले सोहन सिंह को दिया गया है व ख.नं. 1960 अकेले [illegible] दिया गया है जो गलत है। कृषि भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्डस [illegible] पहले भूमि का प्रत्येक किस्म व बाजार

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:36:39 IST
Reason: Self Attested

भाव को देखते हुए विभाजन किया जाना चाहिये। परन्तु प्रस्ताव इकतरफा गणेशाराम को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किये है जो नियमों का उल्लंघन किया गया है।

अतः कुर्रेजात के खिलाफ आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित कुर्रेजात अस्वीकार कर प्रार्थी की आपत्तियों के परिपेक्ष्य में पुनः प्रस्ताव मंगवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3 के आपत्ति प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव का जवाब अप्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कुर्रेजात बनकर आये हैं वे कब्जे काश्त के आधार पर सही बनकर आये हैं। इसलिए प्रतिवादी भूपसिंह की आपत्ति मय हर्जे के खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 व 7 की ओर से प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3 के आपत्ति प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव का जवाब का प्रस्तुत किया कि ख.नं. 1999 रकबा 0.78 है. प व ख.नं. 2250/1 रकबा 1.05 है. व ख.नं. 2249 रकबा 0.01 है. कुल किता 3 कुलरकबा 1.84 है. पर भूपसिंह का कब्जा है उसी के अनुरूप उसके विभाजन प्रस्ताव बनाये हैं। तहसीलदार ने भूमि विभाजन प्रस्ताव नियमों के अनुसार सही बनाये हैं। सोहन सिंह व दुलीचन्द के मकानों का भूप सिंह के कोई असर नहीं पड़ रहा है। सोहन सिंह ने इकरारनामा में गणेशी से मकानों की जगह खरीद रखी है जिसका कोई विवाद नहीं है। अतः जवाब आपत्ति कुर्रेजात भूप सिंह का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खाजिर फरमाया जावे। पुनः प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकरान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28-05-2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। साथ ही उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव में खसरा नंबर 2250 में से ख.नं. 2250/2 रकबा 0.12 है. जो वादी को दिया गया है को प्रस्तावित नक्शे में दक्षिण दिशा में दर्शाया गया है वह उत्तर दिशा में प्रस्तावित किया जावे तथा शेष रकबा ख.नं. 2250/1 रकबा 1.05 है. जो प्रतिवादी सं. 3 [illegible] को उत्तर दिशा में प्रस्ताव किया है वह दक्षिणा दिशा में प्रस्तावित किया जावे अर्थात मूल खसरा नंबर 2250 के उत्तर दिशा में वादी को और दक्षिण दिशा में प्रतिवादी सं. 3 को दे दी जावे। उक्त संशोधन केवल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:36:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रस्तावित नक्शे में ही किया जाना है। शेष विभाजन प्रस्ताव यथावत् रहेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–05–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–05–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व संशोधित–''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–05–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–5'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव के प्रदर्श–''ब'' नक्शे में लाल स्याही से अंकित खसरा नंबर 2250/2 की तरमीम दक्षिण दिशा की बजाय उत्तर दिशा में की जावे तथा खसरा नंबर 2250/1 की तरमीम उत्तर दिशा की बजाय दक्षिण दिशा में की जाकर प्रस्तावित नक्शा दुरूस्त किया जावे। शेष विभाजन प्रस्ताव यथावत् रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–05–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') उक्त संशोधन के साथ इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर संशोधित प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। वाद सं. 36/17 के संलग्न वाद सं. 121/2018 के वादीगण वाद सं. 36/17 में प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 7 को खाता विभाजन का अनुतोष उक्त निर्णित वाद में दिया गया है। अतः वाद सं. 121/2018 भी हस्तगत वाद के साथ निर्णित समझा जावे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:36:39 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

गणेश

ब–ना–म

रामकिशन आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :– **74/2014 (पुराना) व 36/2017 (नया)**

निर्णय दिनांक :– **23–09–2022**

वादी की ओर से **श्री रामचन्द्र यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री पियूष सुरोलिया एडवोकेट व श्री राधेश्याम भारद्वाज एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **23–09–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–05–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–5" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव के प्रदर्श–"ब" नक्शे में लाल स्याही से अंकित खसरा नंबर 2250/2 की तरमीम दक्षिण दिशा की बजाय उत्तर दिशा में की जावे तथा खसरा नंबर 2250/1 की तरमीम उत्तर दिशा की बजाय दक्षिण दिशा में की जाकर प्रस्तावित नक्शा दुरूस्त किया जावे। शेष विभाजन प्रस्ताव यथावत् रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–05–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–6" व "ब") उक्त संशोधन के साथ इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर संशोधित प्रदर्श–"ब" के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। वाद सं. 36/17 के संलग्न वाद सं. 121/2018 के वादीगण वाद सं. 36/17 में प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 7 को खाता विभाजन का अनुतोष उक्त निर्णित वाद में दिया गया है। अतः वाद सं. 121/2018 भी हस्तगत वाद के साथ निर्णित समझा जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **23–09–2022** को मेरे [illegible] से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:36:39 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी